(1)

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 133)

सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

अज अदालत ..... मुकाम .....

राजपाल उर्फ राजू बनाम सुरमेन्दर सिंह

किश्म मुकदमा 25(A) RTA नं. 125 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.5.18	आज राजपाल जोड़ अदालत कैम्प इनलीवास कुलन के जरिये राजपाल उर्फ राजू सोनीसिंह पु. ला. चन्नसिंह, गोलोकोर w/o ला. चन्न सिंह मजहबी सिंह पु. इनलीवास कौमी व सुरमेन्दर सिंह S/o गुरदेव सिंह वगैरहान पु. इनलीवास कुलन के जाबता पत्र पेश किया कि मैं जरिये पड़ोसी काश्तकार (सुरमेन्दर सिंह) के जा. पत्र पेश किया कि मेरी खातेदारी काबिज है प.न. 88/274 कि.न. 24 व 25 में से 0.015 है० प्रति बीघा अर्थात कुल 0.30 है० में शामलात हेतु जगह लेकर सहमति मर्जी शामलात चालू कर रखा है उक्त शामलात को सहमति से रेगुलर करवाना चाहता हूँ जाबता पत्र संलग्न 500/- के स्टाम्प पर सहमति पत्र ला. चन्न सिंह के वारिसान जिनके नाम नियमानुसार इंतकाल दर्ज है उक्त पत्र व नकल सुरमेन्दर सिंह S/o गुरदेव सिंह, वगैरहान कि. इनलीवास कुलन पेश किया है। अतः उक्त पत्र की कार्यवाही सहमति के आधार पर ~~श्री सुरमेन्दर~~ गोलोकोर w/o सिंह की खातेदारी काबिज चक 9 STG खाता सं. 189/162 प.न. 88/274 के खिला फ 24 व 25 की दक्षिण तरफ 0.015 है० प्रति बीघा के हिसाब से कुल 0.030 है० शामलात स्वीकृत किया जाता है। राजस्व रिकार्ड के अंकन हेतु T.D.R Hmm को तहरीर जारी हो। उक्त	पालनार्थ T.D.R Hmm पत्रांक 406 25.5.18 जारी

Scanned by CamScanner